

3/यो0संक०-37/2023

35

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13.4.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के तहत शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संचालित मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु रु० 1100.00 लाख (ग्यारह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मादक द्रव्यों के खपत पर रोक लगाने एवं युवाओं एवं अन्य वर्गों के बीच मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्परिणामों से बचाने के लिए मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत संचालित मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु रु० 1100.00 लाख (ग्यारह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रु. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति	(51-2235022000201)	0201.13.01, 28.02, 31.06	1100.00
कुल (ग्यारह करोड रु०)				1100.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-37/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक 09.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-37/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-37/2023

35

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-37/2023

35

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-37/2023

35

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



अपर सचिव,

